पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीज़न
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153 दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजना अन्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2008—चैत्र 15, शक 1930

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2008

क्र. 1-1992-08-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 58 के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में,—

(1) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) 'संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा' जो इसमें इसके पश्चात् पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी, यह पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी. पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी.".

(2) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न-पत्र के प्रत्येक भाग में अर्ह होने तक के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत श्रेणीवार एवं प्रवर्गवार निम्नानुसार होगा :—

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (1)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्त व्यक्तियों सहित (2)	अन्य (3)
श्रेणी-1	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत
श्रेणी-2	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत
श्रेणी-3	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत.".

(3) उपनियम (8) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) स्थानीय तथा संभागीय स्तर पर, कम से कम एक लोकप्रिय समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाएगी.".

(4) उपनियम (९) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) अभ्यर्थी को संविदाशाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में उसकी/उसके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुपात में अधिकतम 80 अंक प्रदान किए जाएंगे.";

(5) उपनियम (9) के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण (1), (2), (3), (4) तथा (5) का लोप किया जाए.

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 3 में शीर्षक 'नोट'-(क) अर्हताएं, के अधीन, अनुक्रमांक (4) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/परिवेक्षकों, सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षकों, शिक्षा गारंटी स्कूल के गुरूजी तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को उनकी अधिकतम आयु सीमा (35 वर्ष) में बारह वर्ष की छूट दी जाएगी.".

3. यह संशोधन तारीख 4 अप्रैल 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

No. 1-1992-08-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Samvida Shala Shikshak (Employment and conditions of contract) Rules, 2005, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

1. in rule 6,—

(1) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) 'Samvida Shala Shikshak Eligibility Examination', hereinafter referred to as 'Eligibility Examination' as prescribed shall be conducted for the employment of Samvida Shala Shikshak. The eligibility examination shall be conducted by an agency prescribed by the Government. The validity of the eligibility examination shall be for two years after declaration of result or next eligibility examination to be held which will be earlier.".

(2) For sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) The grade and category wise minimum percentage of marks to qualify in the each part of the question paper of eligibility examination of Samvida Shala Shikshak shall be as under:—

Grade of Samvida Shala Shikshak (1)	Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes/ Persons with disabilities (2)	Others (3)
Grade-1	30%	40%
Grade-2	30%	40%
Grade-3	30%	40%.".

(3) for sub-clause (ii) of Clause (a) of sub-rule (8), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) Published at local and divisional level in at least one popular, widely circulated newspaper.".

(4) for clause (a) of sub-rule (9) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) A maximum of 80 marks shall be awarded to the candidate in proportion to the marks obtained by him/her in the Samvida Shala Shikshak Eligibility Examination.";

(5) The explanation (1), (2), (3), (4), (5) to Clause (b) of sub-rule (9) shall be omitted.

2. In Schedule-II, in serial number 3, under the heading 'Note-(a) Qualifiction' for serial number (4), following serial number shall be substituted, namely :—

"(4) The Instructors/Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers, the Honorary Teachers appointed for Government schools, Guruji of Education Guaranty School and part time teacher of vocational Education shall be given twelve years relaxation in maximum age limit (35 year).".

3. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 4th April 2008.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र उपाध्याय, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अप्रैल 2008—वैशाख 4, शक 1930

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2008

क्र. एफ-1-3-2008-बाईस-पी-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 1 अप्रैल 2008 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में,—

(1) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा" जो इसमें इसके पश्चात् पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है, संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी, यह पात्रता परीक्षा सरकार द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी. पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी.".

(2) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग में अर्ह होने तक के लिए न्यूनतम अंकों का

प्रतिशत श्रेणीवार एवं प्रवर्गवार निम्नानुसार होगा :—

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्त व्यक्तियों सहित	अन्य
(1)	(2)	(3)
श्रेणी-1	30%	40%
श्रेणी-2	30%	40%
श्रेणी-3	30%	40%"

(3) उपनियम (8) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

"(2) स्थानीय तथा संभागीय स्तर पर, कम से कम एक लोकप्रिय समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाएगी.".

(4) उपनियम (9) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

"(क) अभ्यर्थी को, संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में उसकी/उसके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुपात में अधिकतम 80 अंक प्रदान किये जाएंगे.".;

(5) उपनियम (9) के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण (1), (2) (3), (4) तथा (5) का लोप किया जाए.

2. अनुसूची-2 में, अनुक्रमांक 3 में शीर्षक 'नोट'-(क) अर्हताएं के अधीन, अनुक्रमांक (4) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर, शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों, सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त मानसेवी शिक्षकों, शिक्षा गारन्टी स्कूल के गुरुजी तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालीन शिक्षकों को उनकी उच्चतम आयु सीमा (35 वर्ष) में बारह वर्ष की छूट दी जायेगी.".

3. यह संशोधन तारीख 24 अप्रैल 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2008

पृ. क्र. एफ-1-3-2008-बाईस-पी-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-3-2008-बाईस-पी-2, दिनांक 24 अप्रैल 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 24th April 2008

No. F-1-3-2008-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the

State Government, hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rule, 2005 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 1st April, 2008 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules,—

1. In rule 6,—

(1) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) 'Samvida Shala Shikshak Eligibility Examination', hereinafter referred to as 'Eligibility Examination' as prescribed shall be conducted for the employment of Samvida Shala Shikshak. The eligibility examination shall be conducted by an agency prescribed by the Government. The validity of the eligibility examination shall be for two years after declaration of result or next eligibility examination to be held which will be earlier.".

(2) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) The grade and category wise minimum percentage of marks to qualify in the each part of the question paper of eligibility examination of Samvida Shala Shikshak shall be as under:—

Grade of Samvida Shala Shikshak	Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes/Persons with disabilities	Others
(1)	(2)	(3)
Grade-1	30%	40%
Grade-2	30%	40%
Grade-3	30%	40%"

(3) for sub-clause (ii) of Clause (a) of sub-rule (8), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) Published at local and divisional level in at least one popular, widely circulated newspaper."

(4) for clause (a) of sub-rule (9), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) A maximum of 80 marks shall be awarded to the candidate in proportion to the marks obtained by him/her in the Samvida Shala Shikshak Eligibility Examination.".

The explanation (1), (2), (3), (4), (5) to Clause (b) of sub-rule (9) shall be omitted.

2. In Schedule-II, in serial number 3, under the heading 'Note-(a) Qualification' for serial number (4), following serial number shall be substituted, namely :—

"(4) the Instructors/Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers, the Honorary Teachers appointed for Government schools, Guruji of Education Guaranty School and part time teacher of vocational Education shall be given twelve years relaxation in maximum age limit. (35 years).".

3. This amendment shall be deemed to have come into force with effect form 24th April 2008.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SURENDRE SHUKLA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.